भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 968
जिसका उत्तर मंगलवार 24 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

नये वाहनों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक

968. श्री रामसिंह राठवा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहन निर्माताओं विशेष रूप से कार निर्माताओं हेतु नए वाहनों के लिए चालकों और यात्रियों की सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु देश में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ ऑटोमोटिव डिजाइन और जांच केंद्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सुरक्षित वाहनों के विनिर्माण को सुनिश्चित करने हेतु दुर्घटना जांच, उत्सर्जन और अन्य सुरक्षा उपकरणों हेतु नए मानदंड तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने सामान्यतः वाहन विनिर्माताओं और विशेष रूप से यात्री कार विनिर्माताओं के लिए ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा हेतु मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है। ये मानक जहां तक संभव हैं, तकनीकी रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात यूएन ईसीई/वैश्विक तकनीकी विनियमों (जीटीआर) के समान हैं।

(ख): नए वाहन मॉडल के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित मुख्य सुरक्षा मानकों (क्रेश संबंधी मानक) को अधिसूचित किया गया हैः

i. एआईएस - 096 - आमने-सामने की टक्कर में वाहन के स्टीयरिंग मकैनिज्म के भरोसेमंद होने की आवश्यकता।
ii. एआईएस 098 - ऑफसेट सामने की टक्कर के मामले में यात्री की सुरक्षा की आवश्यकता (तकनीकी रूप से यूएनईसीई आर 94 के समान है)।
iii. एआईएस 099 - बगल से टक्कर के मामले में यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में वाहनों का अनुमोदन (तकनीकी रूप से यूएनईसीई आर 95 के समान है)।

भारत सरकार की नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत बनाए गए/उन्नयन किये गए परीक्षण केंद्र हैः एआरएआई, पुणे; आईसीएटी, मानेसर; जीएआरसी, चेन्नई; वीआरडीई, अहमदनगर और नेट्रक्स, पीतमपुर।

(ग): सरकार ने पहले ही नए वाहनों के लिए अक्तूबर 2017 से और सभी वाहन मॉडलों के लिए अक्तूबर 2019 से उपर्युक्त क्रेश मानकों के अनिवार्य कार्यान्वयन को अधिसूचित कर दिया है। ड्राइवर एयर बैग, ओवर स्पीड सतर्क प्रणाली, रियर पार्किंग सहायता और सीट बैल्ट रिमाइंडर आदि जैसे अन्य सुरक्षा उपकरणों को अधिदेशित करने वाले मानक को भी अधिसूचित कर दिया गया है।

उत्सर्जन के मामले में, अप्रैल, 2020 से समूचे भारत में सभी वाहन मॉडलों के लिए कठोर भारत स्टेज-VI मानक अनिवार्य है।

*****